

विभाग द्वारा प्रांतीकी गई SMS सिस्टम Call Center एंव Online Complain System की प्रक्रिया हेतु यूजर गाईड

SMS	Call Center	Online complain
<p>हितग्राही / पशुपालक की समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग द्वारा SMS की सुविधा प्रांतीकी गई है :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कोई हितग्राही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से विभाग के न. 9212212919 पर SMS कर सकता है। 2. यह SMS तुरंत विभाग के पोर्टल पर दर्ज हो जाता है एवं विभाग के executive उस मोबाइल न. पर तुरंत फोन करते हैं तथा उसकी हितग्राही / पशुपालक की समस्या की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। 	<p>Call Center की प्रक्रिया निम्नानुसार है</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कोई भी हितग्राही / पशुपालक अपनी या अपने क्षेत्र की समस्या हेतु (विभाग से संबंधित) हेतु विभाग के Call Center न. 0775–6457525 पर सम्पर्क कर सकते हैं। 2. इस फोन न. पर हितग्राही अपनी समस्या सीधे विभाग मुख्यालय पर दर्ज करा सकते हैं। 3. विभाग के executive इस हेतु सीधे संबंधित जिला कार्यालय से उस हितग्राही की समस्या के संबंध के कार्यावाही सुनिश्चित करने हेतु सम्पर्क करते हैं। 4. संबंधित जिला कार्यालय / ए.वि.एफ. 	<p>अपने हितग्राहियों को SMS सिस्टम एवं Call Centre की सुविधा के अलावा विभाग द्वारा अपने हितग्राहियों को Online Complaint System की सुविधा दी गई है।</p> <p>इस सुविधा का उपयोग कोई भी इन्टरनेट यूजर कर सकता है एंव साथ ही कोई भी हितग्राही/प. उपालन म.प्र. शासन के कस्टमर सेंटर MPonline एवं CSC Centre पर जाकर भी अपनी समस्या दर्ज करा सकता है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इस सुविधा के उपयोग हेतु निगम की वेबसाइट (mplivestock.com) को Open का online Complaint System पर क्लिक कर Complaint

<p>3. विभाग के executive उस हितग्राही की समस्या हेतु संबंधित जिला कार्यालय /ए.एफ.ओ. /डाक्टर से संपर्क कर इसकी समस्या अवगत करते हैं।</p> <p>4. संबंधित जिला कार्यालय से सम्पर्क के पश्चात पूनः उस हितग्राही /पशुपालक को उसकी समस्या के निदान के संबंध से SMS किया जाता है।</p>	<p>ओ./डाक्टर /फिल्ड अधिकारी से सम्पर्क करने के पश्चात पूनः विभाग द्वारा हितग्राही को फोन कर उसे समस्या से संबंधित समाधान हेतु अवगत कराया जाता है।</p>	<p>हेतू फार्मेट Open कर सकता हैं।</p> <p>2. इस Complaint फार्मेट में अपनी समस्या दर्ज कराने के पश्चात् हितग्राही को उसके मोबाइल पर तुरंत Complaint नं. प्राप्त होता हैं जिसका की फालोअप कर सकता हैं।</p> <p>3. विभाग के executive पोर्टल के माध्यम से प्राप्त समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित जिला कार्यालयों के संपर्क करते हैं। तथा आव यकता होने पर Complaint System से प्राप्त दुरभाष नं. पर संपर्क करते हैं।</p>
--	---	---

विभाग द्वारा हितग्राही /पशुपालक की सुविधा हेतु एक नया प्रयास है ताकी ग्रामीण क्षेत्र के लोगो की समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। विभाग द्वारा दी जा रही इन सुविधाओं के संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं।

धन्यवाद